न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर

पीठासीन अधिकारी प्रवीण कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 11/2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025/42

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
विक्रम कुमार पुत्र हीराराम वगैरह	हीराराम पुत्र सोनाराम वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 05.03.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लाधुसिंह किलवा उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 1 व 4 लगायत 6 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 04.02.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम छजारा हाल नवसृजित ग्राम प्रहलादनगर में हम प्रार्थीगण की पैतृक एवं कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि खेत पुराने खेत खसरा नंबर 10, 26, 35, 66 जुमले रकबा 77 बीघा 4 बिस्वा की आई हुई है जो वक्त प्रथम सेटलमेंट हमारे दादाजी सोना वल्द दुर्गा, कौम–जाट, साकिन देह खातेदार के नाम से खतौनी बंदोबस्त में दर्ज थी। नकल खतौनी बंदोबस्त संलग्न प्रार्थना–पत्र पेश है तथा उक्त अवतरण में वर्णित आराजी को आगे संपूर्ण प्रार्थना–पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जायेगा जिस बाबत् मुल वाद अलग से पेश है। वादग्रस्त आराजी ग्राम छजारा के पुराने खेत खसरा नंबर 10, 26, 35, 66 जुमले रकबा 77 बीघा 4 बिस्वा से वक्त द्वितीय सेटलमेंट नवीन खेत खसरा नंबर 17, 64, 78, 79 रकबा 9.09 हैक्टेयर नवसृजित किए है। नकल मिलान क्षैत्रफल संलग्न प्रस्तुत है। वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी हीराराम पुत्र सोनाराम के हिस्से में रखी गई भूमि 1.55 हैक्टेयर भूमि में हीराराम के जीवित रहते हुए हम प्रार्थीगण का 2/3 हिस्सा खातेदारी हकहकूक का बनता है तथा मौके पर इसी अनुसार कब्जा काश्त हमारा चला आ रहा है। हमारे बंट व कब्जासुदा की भूमि पर हम स्वतंत्रतापूर्वक अपनी मनमर्जी माफिक काश्त कर रहे है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम छजारा के पुराने खेत खसरा नंबर 10, 26, 35, 66 जुमले रकबा 77 बीघा 4 बिस्वा से वक्त द्वितीय सेटलमेंट नवसृजित नवीन खेत खसरा नंबर 17, 64, 78, 79 रकबा 9.09 हैक्टेयर भूमि में इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण सादिर फरमावें कि वे ताफैसला मूल वाद वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकरण का अवैध कार्य नहीं करें एवं वादग्रस्त आराजी के अन्दर मौके पर प्रार्थीगण के बंटसुदा भूमि पर जबरन अवैध तारबंदी लगाकर या चिणों के टुकड़े वगैरह लगाकर कब्जा न करें एवं न किसी के मार्फत करावें तथा वादग्रस्त

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

आराजी के अन्दर मौके पर हमारे बंटसुदा भूमि में कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न कर झगड़ा नहीं करे तथा हमें जबरन वादग्रस्त आराजी से बेदखल नहीं करें। वादग्रस्त आराजी के मौके पर कच्चा या पक्का निर्माण नहीं करें तथा हमारे शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें एव न ही किसी अन्य से करावें तथा वादग्रस्त आराजी को बैचान, रहन, गिरवी, दान, तर्क नहीं करे अर्थात् वादग्रस्त आराजी को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करे तथा वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 4 लगायत 6 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा प्रहलाद नगर, पटवार हल्का–भड़वल के खसरा नंबर 17, 64, 78, 79 रकबा 9.09 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थीगण मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **04.02.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर